भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 56/2021

No.2021/ACII/20/8 New Delhi, dated: 27.10.2021

General Managers
All Zonal Railways and Pus

Sub: Delegation of powers – Passing of Journal Adjustment Vouchers, Transfer Schedules, Establishment Bills, Stores/Expenditure Bills etc.

The delegation of powers on the above subject were fixed by Board vide letter no. 2005/ACII/20/31 dated 14.12.2007 (RBA No.42/2007) and letter no. 2011/ACI/6/21 dated 28.11.2011 (RBA No.50/2011). The matter regarding upward revision of these powers was under consideration of Board for quite some time. Board has now decided to enhance these powers in administrative interest as under:

I. Delegation of powers to Senior Section Officers(A/cs), Assistant Accounts Officers/ Junior Accounts Officers and Senior Scale Officers:

S.No.	OFFICERS TO WHOM POWERS TO BE DELEGATED	EXISTING DELEGATION OF POWERS				**REVISED DELEGATION OF POWERS**			
		Transactions relating to Suspense Accounts		Transactions relating to other than Suspense Accounts		**Transactions relating to Suspense Accounts**		**Transactions relating to other than Suspense Accounts**	
		Approval of Outward TCs	Acceptance of Inward TCs and approval of Journal Entries	Approval of Outward TCs	Acceptance of Inward TCs and approval of Journal Entries	**Approval of Outward TCs**	**Acceptance of Inward TCs and approval of Journal Entries**	**Approval of Outward TCs**	**Acceptance of Inward TCs and approval of Journal Entries**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
(a)	Senior Section Officer(A/cs)	Upto Rs 10 lakhs each	NIL	Upto Rs 50 lakhs per case	Upto Rs 10 lakhs each	**Upto Rs 20 lakhs each**	**Upto Rs 1 lakh each**	**Upto Rs 1 crore each**	**Upto Rs 25 lakhs each**
(b)	Asst. Accounts Officer/Jr Accounts Officer	Above Rs 10 lakh upto Rs 5 Crore each	Upto Rs 2 Crore each	Above Rs 50 lakhs upto Rs 5 Crore each	Above Rs 10 lakhs and upto Rs 3 Crore each	**Above Rs 20 lakhs upto Rs 10 Crore each**	**Above Rs 1 lakh upto Rs 4 Crore each**	**Above Rs 1 Crore upto Rs 10 Crore each**	**Above Rs 25 lakhs and upto Rs 6 Crore each**
(c)	Sr Scale Officer	Above Rs 5 Crore each	Above Rs 2 Crore upto Rs 10 crore each	Above Rs 5 Crore each	Above Rs 3 Crore and upto Rs 10 crore each	**Above Rs 10 Crore each**	**Above Rs 4 Crore upto Rs 20 crore each**	**Above Rs 10 Crore each**	**Above Rs 6 Crore and upto Rs 20 crore each**

Roopa 29/10/2021

Contd...

I. Delegation of powers to Senior Section Officers(A/cs):

S.NO.	**POWERS DELEGATED TO SENIOR SECTION OFFICERS/ ACCOUNTS**	EXISTING	**REVISED**
1	**Passing of Establishment Bills**	Upto Rs 50,000/- per case	**Upto Rs 20 lakhs per case**
2	**Passing of Stores/Expenditure Bills**	Upto Rs 25,000/- per case	**Upto Rs 10 lakhs per case**
3	**Signing of CO7**	Upto Rs 1 lakh per case	**Upto Rs 25 lakhs per case**
4	**Passing of PF applications of NG staff**	Upto Rs 10,000/- per case	**Upto Rs 2 lakhs per case**

All Journal Slips involving rectification of errors or forced adjustments or those JVs which are made within the Unit without involvement of Transfer Transactions amounting to Rs 1,00,000/- and above, whether relating to a Suspense head of Account or otherwise shall invariably be countersigned by JA Grade officers or HOD incharge in case where no JAG officer is available.

Please acknowledge receipt and take necessary action accordingly.

Roopa 25/10/2021.

(Roopa Srinivasan)
PED/Accounts
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 56/2021

सं.2021/एसी-II/20/8

नई दिल्ली, दिनांक: 27.10.2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: शक्तियों का प्रत्यायोजन - जर्नल समायोजन वाउचर, अंतरण अनुसूचियों, स्थापना बिलों, भंडार/व्यय बिलों आदि को पास करना।

बोर्ड के दिनांक 14.12.2007 (आरबीए सं. 42/2007) के पत्र सं.2005/एसीII/20/31 और दिनांक 28.11.2011 (आरबीए सं.50/2011) के पत्र सं.2011/एसीI/6/21 के तहत उपर्युक्त विषय पर शक्तियों का प्रत्यायोजन निर्धारित किया गया था। बोर्ड में पिछले कुछ समय से इन शक्तियों के उर्ध्वगामी संशोधन से संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा था। बोर्ड ने अब प्रशासनिक हित में इन शक्तियों को निम्नानुसार बढ़ाने का विनिश्चय किया है:

I. वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी और वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन:

क्र. सं.	अधिकारी जिन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी हैं	वर्तमान शक्तियों का प्रत्यायोजन				संशोधित शक्तियों का प्रत्यायोजन			
		उचंत खातों से संबंधित लेनदेन		उचंत खातों से इतर खातों से संबंधित लेनदेन		उचंत खातों से संबंधित लेनदेन		उचंत खातों से इतर खातों से संबंधित लेनदेन	
		जावक टीसी का अनुमोदन	आवक टीसी स्वीकृत करना और जर्नल प्रविष्टियों का अनुमोदन	जावक टीसी का अनुमोदन	आवक टीसी स्वीकृत करना और जर्नल प्रविष्टियों का अनुमोदन	जावक टीसी का अनुमोदन	आवक टीसी स्वीकृत करना और जर्नल प्रविष्टियों का अनुमोदन	जावक टीसी का अनुमोदन	आवक टीसी स्वीकृत करना और जर्नल प्रविष्टियों का अनुमोदन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(क)	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा)	प्रत्येक 10 लाख रुपए तक	शून्य	प्रति मामला 50 लाख रुपए तक	प्रत्येक 10 लाख रुपए तक	प्रत्येक 20 लाख रुपए तक	प्रत्येक 1 लाख रुपए तक	प्रत्येक 1 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 25 लाख रुपए तक
(ख)	सहायक लेखा अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी	प्रत्येक 10 लाख से से अधिक एवं 5 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 2 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 50 लाख से अधिक एवं 5 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 10 लाख से अधिक एवं 3 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 20 लाख से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 1 लाख से अधिक एवं 4 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 25 लाख से अधिक एवं 6 करोड़ रुपए तक
(ग)	वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	प्रत्येक 5 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 2 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 5 करोड़ रुपए से अधिक	प्रत्येक 3 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से अधिक	प्रत्येक 4 करोड़ रुपए से अधिक एवं 20 करोड़ रुपए तक	प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से अधिक	प्रत्येक 6 करोड़ रुपए से अधिक एवं 20 करोड़ रुपए तक

I. वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) को शक्तियों का प्रत्यायोजन:

क्र. सं.	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा को प्रत्यायोजित शक्तियां	वर्तमान	संशोधित
1.	स्थापना बिलों को पास करना	प्रति मामला 50,000/- रुपए तक	प्रति मामला 20 लाख रुपए तक
2.	भंडार/व्यय संबंधी बिलों को पास करना	प्रति मामला 25,000/- रुपए तक	प्रति मामला 10 लाख रुपए तक
3.	सीओ7 पर हस्ताक्षर	प्रति मामला 1 लाख रुपए तक	प्रति मामला 25 लाख रुपए तक
4.	अराजपत्रित कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित आवेदनों को पास करना	प्रति मामला 10,000/- रुपए तक	प्रति मामला 2 लाख रुपए तक

सभी जर्नल पर्चियों, जिनमें त्रुटियों में सुधार या अनिवार्य समायोजन वाली पर्चियां या जर्नल वाउचर जिन्हें 1,00,000/- रुपए या और इससे अधिक राशि के अंतरण लेन-देन किए बिना यूनिट द्वारा तैयार किया गया हो, चाहे वे उचंत खाता शीर्ष अथवा अन्यथा से संबंधित हों, पर कनिष्ठ प्रशासनिक गेड अधिकारी द्वारा अथवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी उपलब्ध न होने पर विभागाध्यक्ष प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

कृपया पावती दें और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड